न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन आदेश

वास्ते– मनोज कुमार पुत्र हंरि नारायण
जाति वाल्मिकी निवासी लोको कॉलोनी समदड़ी
पुलिस थाना समदड़ी जिला बाड़मेर

आदेश   दिनांक 24.5..2017

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत मुझे समाधान हुआ है कि आप एक गुंण्डा व्यक्ति है एवं अधिनियम की धारा 3 के खण्ड क, ख, ग में वर्णित स्थितियॉ आपके विरूद्व विद्यमान होने का पूर्ण समाधान हो गया है।

अतः एतद् द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप बाड़मेर जिले से बाहर चले जावे तथा एक माह की अवधि पूर्ण होने तक जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियंत्रण में रहे तथा जालोर पहुंचने पर जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को अपनी उपस्थिति देगें और पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें। इस अवधि में नेक चलन रहेगें और कोई मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र अपने पास नहीं रखेगें।

CIR
आदेश पत्र
24/5/17

इस आदेश की अनुपालना करने के लिये एक बंधपत्र व जमानतनामा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 7 व नियम 18 के तहत रूपये 10000/– का इस न्यायालय में पेश करेगें और निष्कासित अवधि समाप्ति पर बाड़मेर जिले में आने की सूचना इस न्यायालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को देगें। विस्तृत निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि इस आदेश के संलग्न है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

आदेश आज दिनांक 24.05..2017 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन आदेश

वास्ते– मनोज कुमार पुत्र हरि नारायण
जाति वाल्मिकी निवासी लोको कॉलोनी समदड़ी
पुलिस थाना समदड़ी जिला बाड़मेर

आदेश दिनांक 24.5..2017

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत मुझे समाधान हुआ है कि आप एक गुंण्डा व्यक्ति है एवं अधिनियम की धारा 3 के खण्ड क, ख, ग में वर्णित स्थितियॉ आपके विरूद्व विद्यमान होने का पूर्ण समाधान हो गया है।

अतः एतद् द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप बाड़मेर जिले से बाहर चले जावे तथा एक माह की अवधि पूर्ण होने तक जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियंत्रण में रहे तथा जालोर पहुंचने पर जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को अपनी उपस्थिति देगें और पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें। इस अवधि में नेक चलन रहेगें और कोई मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र अपने पास नहीं रखेगें।

इस आदेश की अनुपालना करने के लिये एक बंधपत्र व जमानतनामा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 7 व नियम 18 के तहत रूपये 10000/– का इस न्यायालय में पेश करेगें और निष्कासित अवधि समाप्ति पर बाड़मेर जिले में आने की सूचना इस न्यायालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को देगें। विस्तृत निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि इस आदेश के संलग्न है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 24.05..2017 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर न्यायालय अपर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

क्रमांक–वाचक / 2017 / 192-93 दिनांक– 24.5..2017

प्रेशित–

जिला पुलिस अधीक्षक
बाड़मेर / जालोर

विशय– गुण्डा एक्ट मुकमा संख्या 06 / 2015 जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर बनाम मनोज कुमार में पारित निर्णय दिनांक 24.5..2017

–:–

महोदय,

विशयान्तर्गत उक्त अनवान मुकदमा में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.5.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि माफिक निर्णय संलग्न् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– निर्णय दिनांक 24.05..2017
की प्रमाणित प्रतिलिपि

भवदीय

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) बाड़मेर

क्रमांक–वाचक / 2017 / 194 दिनांक– 24.5.2017

प्रतिलिपि– थानाधिकारी पुलिस थाना समदड़ी को मय निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) बाड़मेर